कार्यालय नगर पंचायत रूद्रपुर, देवरिया

अल्प कालिक निविदा आमंत्रण – सूचना

14वां वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि धनराशि से नगर पंचायत रूद्रपुर में क्रय किये जाने वाले निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निर्माता कम्पनी द्वारा अधिकृत आपूर्तिकर्ता व नगर पंचायत रुद्रपुर मे आपूर्ति किये जाने हेतु अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक 16–09–2016 को 14.00 बजे तक मुहर बन्द कोटेशन आमंत्रित किया जाता हैं। आमंत्रित कोटेशनो को जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया पर रखें गये कोटेशन पेटिकाओं में दिनांक 16–09–2016 को 14.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। जिसे उसी दिन जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया पर सक्षम अधिकारी द्वारा उपस्थित कोटेशन दाताओं के समक्ष 16.00 बजे खोला जायेगा। कोटेशन प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमाकर दिनांक 15–09–2016 को जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया व नगर पंचायत कार्यालय रुद्रपुर से दिन में 11.00 बजे से 04.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। कोटेशन के साथ उनके सम्मुख अंकित धनराशि अग्रिम जमानत के रूप में एन0एस0सी0/के0वी0पी0/एफ0डी0 आर0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रूद्रपुर के पद नाम बंधक हो, संलग्न कर उसका उल्लेख कोटेशन पर करना अनिवार्य है। आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों तथा जमानत धनराशि से सम्बन्धित बिस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत रूद्रपुर से कार्यालय समय एवं दिवस मे की जा सकती है।

नियम एवं शर्ते :–

1. कोटेशन के साथ कोटेशनदाता को आयकर, व्यापार कर व पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. कोटेशन दाताओं द्वारा कोटेशन में स्पष्ट रूप मे दरो का उल्लेख करते हुए निर्धारत समय तक कोटेशन को जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया पर रखे गये कोटेशन पेटिका में डालना होगा।
3. अलग से वैट या किसी अन्य प्रकार के टैक्स का भुगतान नही किया जायेगा।
4. एक या समस्त कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत रुद्रपुर को सुरक्षित है।
5. कोटेशन दाता फर्म/आपूर्तिकर्ता जिन्हे सामग्री के निर्माता कम्पनी द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए अपने उत्पाद की आपूर्ति हेतु अधिकृत नही किया गया है वे कोटेशन में भाग नही ले सकते है। निर्माता कम्पनी द्वारा अपने उत्पाद की आपूर्ति हेतु अधिकृत आपूर्तिकर्ता व नगर पंचायत रुद्रपुर मे आपूर्ति किये जाने हेतु अधिकृत होने का प्रमाण पत्र कोटेशन के साथ मूल रुप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनके कोटेशन पर विचार नही किया जायेगा।
6. कोटेशन पर कोटेशन दाता का स्पष्ट हस्ताक्षर एवं पूरा पता अंकित होना चाहिए।
7. कोटेशन स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर सामग्रियों की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिलम्ब की दशा में जमानत धनराशि जंब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
8. फर्म/ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय मे सामग्रियों की आपूर्ति न किये जाने की दशा में बिलम्ब पर नियमानुसार अर्थ दण्ड देय होगा, एवं जमानत धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. जिन फर्मो/ठेकेदारो द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये/स्वीकृत कोटेशनो के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति नही की गयी है। उनके द्वारा प्रस्तुत कोटेशन मान्य नही होगा।
10. अनुबन्ध हेतु स्टाम्प पेपर (कोषागार) ट्रेजरी से सीधे क्रय करना अनिवार्य होगा।
11. कोटेशन प्राप्त करने की तिथि मे यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में कोटेशन प्राप्त किया व खोला जायेगा।
12. कोटेशन में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत आपूर्ति किया जाना जाना अनिवार्य होगा।
13. कार्यो की विस्तृत जानकारी व अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत रूद्रपुर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
14. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जमानत धनराशि नकद रूप में भी जमा की जा सकती है, परन्तु उस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
15. इस विज्ञापन को **www.deoria.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	आपूर्ति हेतु निर्धारित समय
1	सफाई उपकरण– फावड़ा, बेल्चा, तगाड़ी, पाँचा, सींक झाड़ू, गईंता, रम्मा, हाथ ठेला	150000.00	1500.00	कार्यादेश प्राप्ति से एक माह

2	कीट नाशक– ब्लीचिंग पाउडर, किंग फाग, मैलाथियान, ग्लाइको सेट, वारसिलो, पैराथ्रम, नूवान, फिनायल, केयोथ्रीन, वी0 टेक्स, चूना	100000.00	2000.00	कार्यादेश प्राप्ति से एक माह
4	फागिंग मशीन डबल बैरल वाहन सहित	250000.00	2000.00	कार्यादेश प्राप्ति से एक माह
5	L.E.D. स्ट्रीट लाइट पोल सहित कम्प्लीट सेट 72, 60, 45 वाट आपूर्ति व स्थापना कार्य। फिलीप्स, बजाज, टैक्सस, काम्पटन ग्रीव्ज	100000.00	1000.00	कार्यादेश प्राप्ति से एक माह

(मुकेश कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रूद्रपुर
देवरिया

(छट्ठे लाल निगम)
अध्यक्ष
नगर पंचायत रूद्रपुर
देवरिया

पत्रांक 139 /न0पं0रू0/सा0आ0/नि0 – 16–17 दिनांक 03 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशा0)/प्रभारी अधिकारी (स्था0 नि0) देवरिया ।
3. अवर अभियन्ता नगर पंचायत रूद्रपुर देवरिया।
4. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया/गौरा बरहज/नगर पंचायत सलेमपुर/लार/मझौली राज/भटनी बाजार/भाटपार रानी/रामपुर कारखाना/गौरीबाजार।
5. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0/जल निगम/सिंचाई विभाग देवरिया।
6. अध्यक्ष जिला पंचायत, देवरिया।
7. कार्यालय नगर पंचायत के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
8. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र " यूनाइटेड भारत " गोरखपुर , " हिन्दुस्तान समाचार " गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के अगले अंक में न्यूनतम स्थान में कराकर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रूद्रपुर
देवरिया

अध्यक्ष
नगर पंचायत रूद्रपुर
देवरिया